# जिले की 1600 दवाई दूकानें 30 को रहेंगी बंद

## केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसो. का ऐलान ▶▶ ऑनलाइन फार्मेसी, केंद्रीय ई-पोर्टल का विरोध




### सुबह 10 बजे मूक मोर्चा

रॉयली प्लाट स्थित दवा बाजार से केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसो. की ओर से 30 मई को सुबह 10 बजे मूक मोर्चा निकाला जाएगा. जो कि मालवीय चौक होते हुए इर्विन चौक, गर्ल्स हाईस्कूल चौक से कलेक्ट्रेट पहुंचेगा. यहां जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद एसो. के पदाधिकारी अन्न व औषध विभाग के सहायक आयुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे.

### कुछ दवाई दूकानें शुरू



एसो. के सचिव प्रमोद भारतीय ने बताया कि आपातकालीन सुविधा के तहत संगठन की ओर से जिले में कुछ दवाई की दूकानें शुरू रखी जाएंगी. जाफरजीन प्लाट स्थित केमिस्ट भवन में आपातकालीन परिस्थितियों में संपर्क करने वाले मरीजों के रिश्तेदारों को दवाई मुहैया कराई जाएगी.

**प्रतिनिधि, 25 मई**

**अमरावती**– अखिल भारतीय स्तर पर दवा विक्रेताओं द्वारा ऑनलाइन फार्मसी व केंद्रीय ई-पोर्टल, दवा मूल्य नियंत्रण नीति के खिलाफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसो. की ओर से 30 मई को बंद का ऐलान किया गया है. जिसके तहत जिले की 1600 दवाई की दूकानें बंद रहेंगी. अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसो. के सचिव प्रमोद भारतीय ने बताया कि पूरे देश और राज्य में गैरकानूनी तरीके से चलाई जा रही ऑनलाइन फार्मसी और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पब्लिक नोटिस के खिलाफ 30 मई को अखिल भारतीय स्तर पर दवाई की दूकानें बंद रखी जाएंगी. ई-फार्मसी के माध्यम से गैरकानूनी कारोबार चल रहा है. इसके जरिए नार्कोटिक्स ड्रग्ज, नींद की दवा, गर्भपात की गोलियां, कोडीन सिरप जैसी घातक दवाइयों की बिक्री की जा रही है. ऑनलाइन फार्मसी से देश के 8 लाख दवा विक्रेताओं और 40 लाख कर्मचारियों के परिवार भी आर्थिक संकट में आ रहे हैं. दूसरी ओर सरकार केंद्रीय ई-पोर्टल का विचार कर रही है. यह प्रस्तावित निर्णय दूकानदारों के लिए घातक है. केंद्रीय ई-पोर्टल पर दवा की चिट्ठी अपलोड करने से पेशंट को समय पर सर्विस देने में कठिनाई होगी. ग्रामीण क्षेत्र में कई ऐसे कस्बे हैं, जहां कि दवाई दूकानों में कम्प्यूटर नहीं हैं. कुछ स्थानों पर बिजली का अभाव है. केंद्रीय ई-पोर्टल कानून लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अधिकांश दवाई दूकानें बंद हो सकती हैं. शासन इन सब पहलुओं पर ध्यान देकर निर्णय ले. बेवजह दवा विक्रेताओं का शोषण रोकें. शासन का ध्यानाकर्षित करने के लिए 30 मई को बंद का ऐलान किया गया है.

# सीपी के निर्देश पर भी जांच नहीं

## तीन साल से योगेश भांडे लापता

**प्रतिनिधि, 25 मई**



**अमरावती**– जिस परिवार का एकलौता बेटा तीन साल से लापता हो और उसे जिस महिला ने भगा ले गई वह मजे से घर के आसपास दिखाई दे तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. मजदूरी करने वाले जेवड़ नगर निवासी रतन सुखदेव भांडे परिवार पर दुर्भाग्य से यह नौबत आई है. उन्होंने राजापेठ थाने में चार बार शिकायत दी मगर दखल नहीं ली गई. विशेष यह कि पुलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक ने स्वयं जांच के निर्देश देने के बावजूद राजापेठ पुलिस टस से मस नहीं हुई. गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस लीपापोती कर रही है.पुलिस आयुक्त से की गई शिकायत अनुसार रतन भांडे के युवा पुत्र योगेश (26) के श्रीमती किरण प्रमोद सांबेकर से मधुर संबंध थे, इसलिए पिता रतन भांडे ने 15 मई 2014 को योगेश का समाज की एक लड़की से विवाह करवाया. मगर 15 दिन में ही 27 जून 2014 को योगेश व किरण सांबेकर लापता हो गए. योगेश की पत्नी अलका भांडे ने 19 जुलाई 2014 को राजापेठ थाने में शिकायत दी. पुलिस ने दोनों बालिग रहने का बहाना बताकर जांच नहीं की. ढ़ाई वर्ष बाद किरण सांबेकर अकेली ज्योति कॉलोनी में नजर आयी. भांडे ने 18 नवम्बर 2016 को फिर एक बार राजापेठ पुलिस को सूचित किया. योगेश का क्या हुआ? इसका राज अभी भी बना हुआ है. पुलिस ने किरण सांबेकर को थाने में बुलाकर बयान लेकर छोड़ दिया. उसके बाद 4 जनवरी 2017 को राजापेठ पुलिस ने मिसिंग दर्ज की.पिता ने स्पष्ट आरोप लगाया है कि उनके पुत्र योगेश के साथ कुछ अनहोनी हुई है. अगर किरण सांबेकर से कड़ी पूछताछ की जाए तो योगेश का पता चल सकता है. योगेश जिंदा है या मर गया, इसकी भी तस्दीक हो सकती है. आंखों के सामने आरोपी रहने के बावजूद पुलिस लापरवाही बरत रही है. पुलिस आयुक्त ने भांडे की आपबीती सुनकर राजापेठ पुलिस को तत्काल जांच करने के निर्देश दिए थे. मगर एक माह बीतने के बावजूद राजापेठ पुलिस ने जांच नहीं की.

### गृह राज्यमंत्री व पालकमंत्री से लगाएंगे गुहार

अपने पुत्र योगेश का सच जानने के लिए बेचैन और पुलिस की लापरवाही से मायूस रतन भांडे ने गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटिल और पालकमंत्री प्रवीण पोटे से गुहार लगाने का मानस व्यक्त किया है. शहर पुलिस दल के प्रमुख पुलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक के निर्देशों का जहां पालन नहीं होता वहां आम जनता के साथ शहर पुलिस का रवैया क्या होगा? इसका अंदाजा लगाया जा सकता है.

# पौधारोपण आसान, देख-रेख है मुश्किल

## निगमायुक्त हेमंत पवार की दलील, एनजीओ को सौंपा पालकत्व



अमरावती : पौधारोपण बैठक में उपस्थित निगमायुक्त पवार व अन्य.

**प्रतिनिधि, 25 मई**

**अमरावती**– कहावत है कि 'मीठा-मीठा गप्प व कड़वा कड़वा थू'. कुछ इन्हीं सिद्धांतों पर स्थानीय महानगर पालिका के निगमायुक्त हेमंत पवार चलते दिखाई दे रहे हैं. गुरुवार को निगमायुक्त पवार ने राज्य शासन व वन विभाग की ओर से दिए गए पौधारोपण टार्गेट विषय पर आयोजित बैठक में कहा कि पौधारोपण करना सरल है, लेकिन उसका जतन करना मुश्किल है. इतना ही नहीं, पवार ने पौधों के पालकत्व (जतन) की जिम्मेदारी एनजीओ के माथे मढ़ी है.

निगमायुक्त हेमंत पवार की अध्यक्षता में पौधारोपण के विषय में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में एनजीओ उपस्थित थे. बारिश के मौसम में जनसहभाग की मदद से पौधारोपण करने की नीति मनपा प्रशासन ने बनाई है. अमरावती संभाग में सभी अलग-अलग विभागों के सहयोग से चार करोड़ पौधारोपण किया जाएगा. विदित हो कि गतवर्ष भी करीब 50 लाख पौधों का रोपण किया गया था. लेकिन उसमें से कितने पौधे अभी निर्धारित स्थल पर हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं है. शासन और वन विभाग की ओर से लिए गए निर्णय व दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के लिए मनपा प्रशासन ने भी कवायद शुरू कर दी है.बैठक में उपस्थित एनजीओ ने अपने-अपने विचार व्यक्त करते हुए शहर में पौधारोपण व शिवटेकड़ी, भीमटेकड़ी, अकोली, रोड साइड पर ग्रीनरी विषय पर कहा कि जनसहभाग पौधारोपण के लिए जरूरी है. पौधारोपण करने के बाद उसका जतन एनजीओ के माध्यम से किया जाएगा. बैठक में उपस्थित एनजीओ ने यह जिम्मेदारी स्वीकारी. अमृत योजना अंतर्गत ग्रीन स्पेस डेवलपमेंट के काम होंगे. रोटरी क्लब ने रोड व शिवटेकड़ी, थांगता एसो. ने अकोली के ग्रीन स्पेस के पौधों, जिजाऊ बैंक व एनबी कंस्ट्रक्शन ने चार रोड, चेतन चौधरी गायत्री नर्सरी ने डीमार्ट से वालमार्ट के सामने का रोड, फीच्चुच अर्थ वेलफेयर व थांगता एसो. भीमटेकड़ी के पौधों, अविरथ फेनासियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राजापेठ से डीमार्ट रोड के पौधों का जतन करेंगे. वहीं घरकुल मसाला के वरणगांवकर व शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से एक सड़क के किनारे के पौधों का जतन, प्रेमचंद गुप्ता की ओर से तीन सड़क के किनारे के पौधों का जतन किया जाएगा. बैठक में नंदकिशोर गांधी, श्रीरंग हिरलेकर, प्रकाश लढ्ढा, मधुकर घारड, कांती कुमार चौधरी, चेतन चौधरी, आकाश खंगारकर, डॉ.शुभम गुल्हाणे, सुभाष राठी, सचिन थवरे, पवन बुरघाटे, डॉ. प्रणय कुलकर्णी, आनंद जोशी, राम जोशी, प्रेमचंद गुप्ता, डॉ. संयोगिता देशमुख, शुभांगी मुंधड़ा, पी.आर.पाटिल, राजेश चवरे, विनायकराव भुसारी पाटिल, कल्पना बुरंगे, अर्चना बारब्दे, अरविंद चांडक आदि उपस्थित थे.

**अमरावती** : सिंचाई कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे बेंबला प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता

# पगडंडी मार्ग के लिए किसानों का अनशन शुरू

## सिंचाई कार्यालय के समक्ष लगाया

**प्रतिनिधि, 25 मई**

**अमरावती**– चांदूर रेलवे तहसील के घुईखेड़ निवासी बेंबला प्रकल्प बाधित किसानों ने गुरुवार से सिंचाई कार्यालय के समक्ष गांव में राम मंदिर से हाईवे तक पगडंडी मार्ग बनाने की मांग को लेकर अनशन शुरू किया है. ग्रामवासियों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के मुताबिक बेंबला प्रकल्पग्रस्त किसानों ने 10 अप्रैल को सिंचाई कार्यालय के समक्ष अनशन शुरू किया था. उस दौरान बेंबला प्रकल्प के कार्यकारी अभियंता ने 31 मई तक काम पूर्ण करने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन 4 मई तक किसी भी प्रकार के काम की शुरूआत न किए जाने के कारण ग्रामवासियों ने 11 मई को पुनः अनशन शुरू किया. बावजूद सकारात्मक निर्णय न लिए जाने के कारण गुरुवार से अनशन प्रारंभ किया. इस दौरान प्रवीण घुईखेड़कर, कैलाश सावरकर, अशोक देशमुख, सतीश देशमुख, शंकरराव सोलंके आदि उपस्थित थे.

# असंगठित श्रमिकों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ें

## श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पर करें अमल



अमरावती- असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के साथ अन्याय किया जा रहा है. आज भी यह कर्मी विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं. असंगठित क्षेत्र में नौकरी के लिए कोई सेवा शर्त लागू नहीं है और जहां श्रमिक काम करते हैं, उनके नियोजक किसी नियम और कानून का पालन नहीं करते हैं. नतीजतन श्रमिकों का भविष्य अधर में लटका रहता है. केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 लागू कर मजदूरों के कल्याणार्थ काम करने की कानूनी पहल की है. 30 दिसंबर 2008 से यह कानून लागू किया गया है. लेकिन असंगठित श्रमिकों की मांगों और आंकाक्षाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है. राज्य में श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पर कड़ाई से अमल हो. इस मांग का ज्ञापन गुरुवार को लाखों असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उनका अधिकार तथा न्याय दिलाने के लिए गठित की गई मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर (एनपीजे) की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किया गया है. मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर की ओर से असंगठित मजदूरों को उनका अधिकार तथा न्याय दिलाने के लिए 1 मई 2017 से राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया था. इस अभियान के तहत जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया है. ज्ञापन के अनुसार भी देश में रोजगार से लगे करीब 94 फीसदी लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं. अक्सर असंगठित श्रमिकों को रोजगार के लिए दर ब दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं. उन्हें हर दिन काम नहीं मिलता और काम मिला भी तो मजदूरी उपयुक्त नहीं होती है. ऐसे कम आय वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान दिखते हैं. उनके लिए सामाजिक सुरक्षाओं की योजनाएं भी अपर्याप्त हैं. श्रमिक अधिकार संगठन के लंबे संघर्ष और प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा अधिनियम घोषित किया. लेकिन महाराष्ट्र राज्य में अभी तक यह कानून कार्यान्वित होने की प्रतीक्षा कर रहा है. असंगठित श्रमिक सामाजिक अधिनियम 2008 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाना था. जिससे असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ, बुढ़ापा, संरक्षण और किसी भी अन्य लाभ जैसे सामाजिक शिक्षा योजना को शुरू करने की सिफारिश राज्य सरकार से किया जा सकती थी. असंगठित संगठनों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके श्रमिकों को पेंशन प्रदान करना, लाभार्थी की मृत्यु होने पर घर परिवार के लोगों को राहत देने, लाभार्थियों के लिए हाउस कर्ज जैसे कल्याणकारी योजनाएं बनाने का पूरी तरह अधिकार है. लेकिन इस ओर सकारात्मक कदम नहीं उठाया जा रहा है. राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन न होने से असंगठित श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है. असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा व भविष्य के लिए कड़ाई से कानून का पालन करें, इस प्रकार की मांग की. ज्ञापन सौंपते वक्त इमरान अहमद खान, डॉ.मोहम्मद आसिफ, डॉ.अहमद उल्लाह खान, अकील अहमद खान, सलीम शेख, कलीम खान, डॉ. अहमद उल्लाह खान, उत्तमराव बरडे, मो.रियाज, सैइद खान, सैय्यद मुख्तार, सैय्यद अशफाक आदि उपस्थित थे.

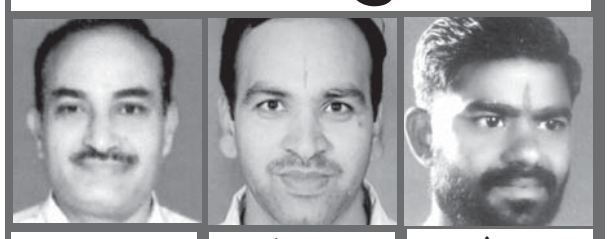

# जन्मदिन मुबारक

पवन पुंडकर
अमरावती
मो. 9403410228

सुयोग लढ्ढा
अमरावती
मो. 9423622421



श्यामसुंदर अटल
अमरावती
मो. 9422156310



अब्दुल रफीक असदपुर
अमरावती
मो. 950302884



राजेश खंडेलवाल
परतवाडा
मो. 9860372112



केतन शाह
अमरावती
मो. 7588545714



अमर व्यास
मो. 9422174048



शशिप्रभा काले
अमरावती



स्मिता कासार
अमरावती

राजेश चौकुडे
नांदगांव खंडे.



मिलिंद ठक्कर
अमरावती



मं. मकसुद हक
अमरावती



विपुल कोठारी
अमरावती



आप सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

जिनका फोटो आज के जन्मदिन कॉलम में छपा है, वे फोटो कटिंग साहिल ऑप्टीकल में देकर इम्पोटेड गॉगल प्राप्त करें. यह ऑफर सिर्फ आज ही के दिन है.

साहिल ऑप्टीकल
राजापेठ पुलिस स्टेशन के पास
अमरावती, मो.9325717817

# बिग राजेश सिनेमा में एमआरपी दर पर ही बिक्री

## दर्शकों को अधिक दाम में खाद्य सामग्री बिक्री का आरोप









### प्रतिदिन मनोरंजन

| सिनेमा | सिनेमा गृह |
|---|---|
| सचिन ए बिलियन ड्रीम्स | ई आरबीट |
| चि. व चि. सौ. कां | राजलक्ष्मी |
| बाहुबली | ई आरबीट |
| हॉफ गर्लफ्रेंड | प्रभात |
| ताटवा | प्रिया |
| बाहुबली | चित्रा |
| सालाजार की यलगार | ई आरबीट |
| जट्टू इंजीनियर | सरोज |
| सचिन ए बिलियन ड्रीम्स | बिग सिनेमा |
| हिंदी मिडियम | बिग सिनेमा |

### व्यवस्थापक राजेश पेलागड़े का दावा

अमरावती- स्थानीय मोसिकॉल प्लाट स्थित बिग राजेश सिनेमा (पुरानी पंचशील टॉकीज) में दर्शकों को पानी की बोतल 20 रु. के स्थान पर 50 रु. में बेची जा रही है. इस प्रकार केआरोप के चलते युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बिग सिनेमागृह की कुर्सी को पानी के बोतल की माला पहनाकर टॉकीज बंद आंदोलन का ऐलान किया. इस मामले को लेकर गुरुवार को बिग सिनेमा के व्यवस्थापक राजेश पेलागड़े ने बताया कि सिनेमागृह में एमआरपी दर में ही दर्शकों को खाद्य पदार्थ व पानी की बोतलें बेची जाती हैं.बिग सिनेमा के व्यवस्थापक राजेश पेलागड़े ने बताया कि कोकाकोला कंपनी के साथ थिएटर का टायअप है. बिग सिनेमा में उन्हीं कंपनी के प्रोडक्ट हैं, जिन्हें बेचा जाता है. इस कंपनी की पानी के बोतल पर जितना एमआरपी लिखा है, उसी मुताबिक बिक्री की जाती है और साथ में बिल भी दिया जाता है. एमआरपी से अधिक में बिक्री नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा भी उन्होंने किया. पेलागड़े यह कहने से भी नहीं चूके कि किसी भी दर्शक के साथ सामग्री खरीदी के लिए जबरदस्ती नहीं की जाती. उन्होंने बताया कि थिएटर में आने वाले दर्शकों के लिए आरओ पानी की व्यवस्था की गई है. जरूरी नहीं है कि वह पानी की बोतल खरीदें.

खाद्य पदार्थों के साथ पेपर नैपकीन, कागज का ट्रे और सॉस भी दिया जाता है. थिएटर में गंदगी न हो, इसके लिए इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है. गंदगी होने पर थिएटर में चूहे घुसेंगे और वे नुकसान पहुंचाएंगे. थिएटर की सुरक्षा को देखते हुए यह सावधानी बरती जाती है.

### ग्राहकों की च्वाइस

व्यवस्थापक राजेश पेलागड़े ने दावा किया कि बिग राजेश सिनेमा में लोकल ब्रांड नहीं बेचा जाता है. हर ग्राहक अपने च्वाइस के अनुसार सामग्री खरीद सकता है. थिएटर में कुर्सी पर बैठे-बैठे दर्शक ऑर्डर दे सकते हैं और जो वेटर हैं, वे दर्शकों के पास जाकर ऑर्डर पहुंचाते हैं. थिएटर में किसी भी प्रकार की लूट नहीं की जा रही है.

# एमआरपी से अधिक मूल्य लेने पर करें शिकायत

## ग्राहक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष देशपांडे की अपील, प्रशासन की ढिलाई पर जताई चिंता



**अमरावती : प्रेसवार्ता में जानकारी देते समिती के अध्यक्ष देशपांडे व अन्य.**

**प्रतिनिधि, 25 मई**

**अमरावती** – कोई भी व्यापारी या दूकानदार एमआरपी से अधिक मूल्य लेकर वस्तु की बिक्री करता है तो इसकी शिकायत जागो ग्राहक जागो 0721/2663089 या 9860736200 वाट्सएप नंबर पर करने की अपील ग्राहक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) अरुण वसंतराव देशपांडे ने गुरुवार को यहां की. शाम 4 बजे विश्रामगृह में आयोजित प्रेसवार्ता में वे बोल रहे थे. देशपांडे ने कहा कि नापतोल विभाग ग्राहकों के हित में काम करता है. हर वस्तु की पैकिंग पर कीमत दर्ज रहती है. दूकानदार उससे एक रुपया भी अधिक नहीं ले सकता. ग्राहकों को बिना शिकायत किए न्याय नहीं मिल सकता. बिना लेबल के कोई भी दूकानदार पैक माल नहीं बेच सकता. हर माल की पैकिंग पर एमआरपी, निर्माण की तिथि, एक्सपायरी तिथि, माल का नाम, वजन लिखना अनिवार्य है.देशपांडे ने कहा कि 1986 में जिला ग्राहक संरक्षण समिति कानून बना. मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने सेवा गारंटी कानून लागू किया. ग्राहक सुरक्षा उसका अधिकार है. खाद्य पदार्थ की सुरक्षा हेतु फूड विभाग निर्माण किया है. जिसमें 24 घंटे टोल फ्री नंबर 1800222365 पर शिकायत कर सकते हैं. शिकायत पश्चात 72 घंटे में क्या कार्रवाई हुई. इसकी जानकारी भी मिल सकती है.देशपांडे ने माना कि राशन दूकानदारों की प्रतिमा जनमानस में अच्छी नहीं है. खाद्यान्न आपूर्ति मंत्री गिरीश बापट ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारने का संकल्प लिया. 92 हजार राशन कार्डधारकों को ऑनलाइन जोड़ा व पॉज मशीन से लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है. जिससे अनाज बच रहा है. मशीन में अंगूठा लगाते ही जानकारी सामने आती है. ये जानकारी मंत्रालय से जोड़ी गई है.

देशपांडे ने एक सवाल के जवाब में बताया कि आगामी 15 दिनों में शहर के होटल व चाय कैंटीन व खाद्य-पेय की दूकानों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं. ग्राहक को छोटी से छोटी वस्तु खरीदने पर बिल लेना चाहिए. कोई बिल देने से आनाकानी करता है तो उसकी तुरंत शिकायत करनी चाहिए. यह नियम सिनेमा घर और मॉल पर भी बंधनकारक है.

ग्राहक बाजार का राजा है, उसे ठगने का प्रयास नहीं होना चाहिए. देशपांडे ने कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए नियम का पालन प्रशासन को करना चाहिए. कई बार देखा गया है कि प्रशासन ढिलाई से काम करता है. वित्त व्यवस्था का केंद्रबिंदु ग्राहक है. ग्राहक अगर जागरूक है तो ही वह शक्तिशाली है.

### 12.93 लाख दंड वसूला

प्रेसवार्ता के पूर्व प्रशासकीय बैठक में देशपांडे ने अधिकारियों से चर्चा की. आपूर्ति उपायुक्त रमेश मावसकर, जिला आपूर्ति अधिकारी डी.के. वानखेड़े, ग्राहक संरक्षण परिषद के डॉ.अजय गाड़े व अन्य उपस्थित थे. खाद्यान्न व औषधि विभाग तथा वैध मापन कार्यालय का जायजा लिया. वैध मापन कार्यालय द्वारा 207 मामलों की जांच कर 12.93 लाख रुपए दंड वसूलने की जानकारी वैध मापक सुरेश गारले ने बैठक में दी. पेट्रोल पंप पर निःशुल्क हवा, पेयजल, महिलाओं के लिए स्वच्छतागृह बंधनकारक रहने से 104 पेट्रोल पंप को पत्र देने की जानकारी आपूर्ति अधिकारी ने दी. ग्राहकों से जनजागृति अभियान चलाने का अनुरोध किया. डॉ.अजय गाड़े की राज्यस्तरीय कल्याण समिति पर अमरावती विभाग से सदस्य के रूप में नियुक्ति होने पर उनका देशपांडे के हाथों सम्मान किया गया.